



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22391-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या.- 2591/2026

शालिनी उर्फ शालिनी वॉट एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता
कुमार,

:-आदर्श कुमार मौर्या, अल्का रानी, अंबरीष

रूपाली श्रीवास्तव, शुभम यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:-शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विरोधी पक्षकार संख्या-4 को सूचना जारी करने की आवश्यकता को समाप्त किया जाता है।

3. प्रस्तुत रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ योजित की गई है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने हेतु परमादेश रिट जारी की जाए।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं और उन्होंने 13.03.2026 को लखीमपुर खीरी के एक मंदिर में अपनी स्वेच्छा से एक-दूसरे से विवाह किया है। याचिकाकर्ताओं के वयस्क होने के समर्थन में, उन्होंने अपने आधार कार्ड संलग्न किए हैं। यह तर्क दिया गया है कि विरोधी पक्षकार संख्या-4 इस विवाह से खुश नहीं है और इस कारण वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई है।

5. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य -2006 (5) SCC 475** के मामले का संदर्भ लेना उपयुक्त होगा, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने प्रस्तर-17 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-"

"17. यह एक स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक देश है, और जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तब वह अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकता/सकती है। यदि लड़के अथवा लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर्जातीय अथवा अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकृति नहीं देते हैं, तो वे अधिकतम यही कर सकते हैं कि वे अपने पुत्र अथवा पुत्री से सामाजिक संबंध विच्छेद कर लें, किन्तु वे न तो धमकी दे सकते हैं, न हिंसा कर सकते हैं अथवा हिंसा के लिए उकसा सकते

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हैं और न ही ऐसे अंतर्जातीय अथवा अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्तियों को प्रताड़ित कर सकते हैं। अतः हम देशभर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि यदि कोई बालिग लड़का अथवा लड़की किसी बालिग स्त्री अथवा पुरुष के साथ अंतर्जातीय अथवा अंतर-धार्मिक विवाह करता/करती है, तो उस दम्पति को किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित न किया जाए और न ही उन्हें धमकियों अथवा हिंसात्मक कृत्यों का सामना करना पड़े। जो कोई भी ऐसी धमकी देता है, प्रताड़ित करता है अथवा स्वयं अथवा अपने उकसावे पर हिंसात्मक कृत्य कराता है, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही संस्थित कर कठोर विधिक कार्यवाही की जाए, जैसा कि विधि में उपबधित है।"

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं द्वारा विवाह के छायाचित्र संलग्न किए गए हैं, तथापि याचिकाकर्ता संख्या-2 ने वैवाहिक आयु प्राप्त नहीं की है तथा उसकी आयु 21 वर्ष से कम है।

7. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के **नंदकुमार एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य : (2018) 16 SCC 602** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना उपयुक्त होगा, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"10. हमारे उद्देश्यों के लिए, यह टिप्पणी करना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता 1 और थुशारा दोनों वयस्क हैं। भले ही वे विवाह के बंधन में बंधने के लिए सक्षम न रहे हों (जिस स्थिति पर स्वयं विवाद है), फिर भी उन्हें विवाह के बिना भी साथ रहने का अधिकार है। यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सह-जीवन संबंध को अब स्वयं विधायिका द्वारा भी मान्यता प्रदान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की जा चुकी है, जिसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 उपबंधों में भी स्थान दिया गया है।”

8. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि विपक्षीगण किसी भी प्रकार से याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त विषय के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पूर्व से ही पंजीकृत है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जाएगा।

10. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने न तो याचिकाकर्ताओं की आयु के प्रश्न पर विचार किया है और न ही सह-जीवन संबंध/विवाह की सत्यता/वैधता पर ही कोई निर्णय दिया है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

मार्च 31, 2026

ए कटियार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।